न्यायालय अति. जिला कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री सत्यवीर यादव (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या – 06/2018

घनश्याम पुत्र स्व. नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बेरी बांध तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–प्रार्थी

बनाम

1. मन्नालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति खाती निवासी ग्राम बेरी बांध तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण

4. पतासी देवी पत्नी स्व. नारायण
5. मामचन्द पुत्र स्व. नारायण
6. कैलाश पुत्र स्व. नारायण
7. महावीर पुत्र स्व. नारायण
8. बुद्वराम पुत्र स्व. नारायण

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बेरी बांध तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970) आदेश आवंटन दिनांक 09.07.1989 बाबत आराजी हाल खसरा नम्बर 1211/0.34 वाके मोजा बेरी बांध तहसील कोटपूतली

निर्णय दिनांक : 23.10.19

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970) का पेश किया जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 के पति व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के पिता नारायण पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी ग्राम बेरी बांध तहसील कोटपूतली की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 459 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा वाके मोजा बेरी जिसके हाल खसरा नम्बर 1211/0.34 वाके मोजा बेरी बांध तहसील कोटपूतली बने है। जिस पर पूर्व मे नारायण पुत्र मंगला व उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। नारायण पुत्र मंगला की मृत्यु दिनांक 15.08.1987 को हो गयी थी उस समय प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 नाबालिग थे तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 अनपढ व पर्दानशीन स्त्री है। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये दौराने सैटलमैन्ट, सैटलमेन्ट विभाग द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 1211/0.34 वाके मोजा बेरी बांध तहसील कोटपूतली को साबिक रिकार्ड अनुसार तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 के पति व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के पिता व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय सिवाय चक दर्ज कर दिया। उक्त भूमि को प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की अन्य अनभिज्ञता मे अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो से साज कर अलाटमैन्ट रजिस्टर आदेश दिनांक 09.06.1989 को अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष आवंटन पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया। जिस पर विभाग द्वारा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को अलाटमेन्ट पत्रावली की नकल उपलब्ध ना करवा महज आवंटन रजिस्टर की प्रतिलिपि दी गयी। जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने सूचना के अधिकार के तहत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष उपरोक्त आवंटन पत्रावली की नकल हेतु आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली की नकल उपलब्ध नही करवायी। जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली के समक्ष सूचना के अधिकार के तहत नकल उपलब्ध नही होने पर अपील प्रस्तुत की। तत्पश्चात अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा प्रार्थी को दिनांक 01.05.2018 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भिजवायी कि उक्त

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

आवटन पत्रावली दिनांक 09.06.1989 कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण नकल दिया जाना संभव नही है। उक्त सूचना प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को दिनांक 15.05.2018 को प्राप्त होने पर प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 459 जिसके हाल खसरा नम्बर 1211 वाके मोजा बेरी बांध प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण व उनके पिता व पति नारायण पुत्र मंगला की खातेदारी की भूमि है। दौराने सैटलमैन्ट, सैटलमैन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से उक्त भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण व उनके पिता के नाम साबिक रिकार्ड अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार नाम दर्ज करने के बजाय सिवाय चक दर्ज कर दिया। जबकि सैटलमैन्ट विभाग को उक्त साबिक रिकार्ड की पुनरावृति करनी चाहिये थी। उक्त राजस्व रिकार्ड मे की गयी गलती का नाजायज फायदा उठाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना अलाटमैन्ट सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये एवं बिना अलाटमैन्ट सलाहकार समिति द्वारा उपरोक्त भूमि को आवंटन हेतु उपलब्धता की कि तहसीलदार व पटवारी हल्का से रिपोर्ट लिये। बिना कोई कब्जा मोके पर संभलाये महज अलाटमैन्ट रजिस्टर मे अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जकारी कर स्वयं का नाम दर्ज करवा। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे किसी भी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकती है। महज सैटलमैन्ट द्वारा गलत इन्द्राज किये जाने से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार समाप्त नही हो सकते है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी भी भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व आवंटन हेतु उपलब्धता यानी मोके पर उक्त भूमि खाली है। किसी व्यवित का कब्जा नही है। इस बाबत पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार महोदय को रिपोर्ट दिये जाने के उपरान्त तहसीलदार महोदय द्वारा अपनी उक्त रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट किये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति उक्त उपलब्ध भूमि की विज्ञप्ति ग्राम पंचायत, तहसील परिसर व पंचायत समिति व ग्राम के चौपाल पर चस्पा करती है। इसके पश्चात आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त करती है एवं भूमिहीन तथा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग प्राथमिकता देते हुये मोके पर आवंटन करने के पश्चात पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा मोंके पर आवंटी को कब्जा दिया जाता है। मोंके पर उपलब्ध संरचना, पेड आदि का मूल्यांकन कर उक्त राशि राजकोष मे आवंटी को जमा करवाने के उपरान्त कब्जा आवंटी को संभला कर आवंटी के पक्ष मे सनद जारी कर पॉच रूपये मूल्य के चालान राजकोष मे जमा करवाकर आवंटी को सनद दी जाती है। उपरोक्त समस्त प्रकिया की पत्रावली तैयार की जाती है। परन्तु प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 1211 वाके मौजा बेरी बांध तहसील कोटपूतली हेतु ना तो पटवारी हल्का ने कोई रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की। ना ही तहसीलदार द्वारा कोई रिपोर्ट प्रार्थी की उपरोक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्धता की। रिपोर्ट सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की। तथा ना ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन हेतु विज्ञप्ति सार्वजनिक स्थानो पर चस्पा की गयी। ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के लिये कोई आवेदन मांगे गये। ना ही किसी प्रकार का कोई आवेदन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के लिये आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत हुये। ना ही पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा मोके पर अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा संभलाया गया एवं ना ही कोई सनद अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे पॉच रूपये का चालान जमा करवा जारी किया गया। महज अप्रार्थी संख्या 1 अपनी जानकारी का नाजायज फायदा उठाते हुये अलाटमैन्ट रजिस्टर मे दिनांक 09.06.1989 को स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश आवंटन रजिस्टर दिनांक 09.07.1989 बाबत आराजी हाल खसरा नम्बर 1211/0.34 वाके मोजा बेरी बांध तहसील कोटपूतली को खारीज किये जाने के आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 बावजुद तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री किशनलाल सैनी एडवोकेट उपस्थित आये तथा जबाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970) एवं दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया।

धारा 5 मियाद अधिनियम में मिन अप्रार्थी ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थी का कथन कि नकल दिनांक 02.02.2018 को लेने के उपरान्त प्रार्थी का आवंटन सलाहाकार समिति के रजिस्टर की नकल दिनांक 05.02.2018 को प्रार्थी को दी गई कतई गलत है। नामान्तकरण की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में ही थी। यह इससे स्पष्ट होता है कि न्यायालय

6

कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

सहायक कलेक्टर कोटपूतली में एक वाद बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का बअनुवानी पतासी देवी बनाम मन्नालाल विचाराधीन है जिसमें मन्नालाल हाजिर अदालत है। इससे बखुबी साबित है कि उक्त प्रकरण की जानकारी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को काफी वर्षो पूर्व थी। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970) में कथन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 459 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा बेरी तहसील कोटपूतली कभी भी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के पिता नारायण पुत्र मंगला की खातेदारी व कब्जे काश्त की नही रही है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 मन्नालाल को नियमानुसार दिनांक 09.06.1989 को आवंटन की थी। आवंटन के समय से ही अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी पर बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। सैटलमेन्ट द्वारा किया गया इन्द्राजात सही एवं नियमानुसार है। प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कभी कोई ताल्लूक वास्ता नही रहा है ना उन्होने कभी भूमि को काश्त किया है। आवंटन सलाहकार समिति के दिनांक 09.06.1989 के आंवटन रजिस्टर में नाम होने की जानकारी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को पूर्व में ही थी क्यो कि न्यायालय सहायक कलेक्टर में बअनुवानी पतासी बनाम मन्नालाल का वाद बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

हमने वकुलाये की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 459 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके मोजा बेरी जिसके हाल खसरा नम्बर 1211/0.34 वाके मोजा बेरी बांध तहसील कोटपूतली पर पूर्व मे नारायण पुत्र मंगला व उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। नारायण पुत्र मंगला की मृत्यु दिनांक 15.08.1987 को हो गयी थी उस समय प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 नाबालिग थे तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 अनपढ व पर्दानशीन स्त्री है। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये दौराने सैटलमैन्ट, सैटलमेन्ट विभाग द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 1211/0.34 वाके मोजा बेरी बांध तहसील कोटपूतली को साबिक रिकार्ड अनुसार तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 के पति व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के पिता व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय सिवाय चक दर्ज कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो से साज कर अलाटमैन्ट रजिस्टर आदेश दिनांक 09.06.1989 को अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष आवंटन पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया। जिस पर विभाग द्वारा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को अलाटमेन्ट पत्रावली की नकल उपलब्ध ना करवा महज आवंटन रजिस्टर की प्रतिलिपि दी गयी। जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने सूचना के अधिकार के तहत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष उपरोक्त आवंटन पत्रावली की नकल हेतु आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली की नकल उपलब्ध नही करवायी। जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली के समक्ष सूचना के अधिकार के तहत नकल उपलब्ध नही होने पर अपील प्रस्तुत की। तत्पश्चात अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा प्रार्थी को दिनांक 01.05.2018 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भिजवायी कि उक्त आवंटन पत्रावली दिनांक 09.06.1989 कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण नकल दिया जाना संभव नही है। उक्त सूचना प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को दिनांक 15.05.2018 को प्राप्त होने पर प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 459 जिसके हाल खसरा नम्बर 1211 वाके मोजा बेरी बांध प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण व उनके पिता व पति नारायण पुत्र मंगला की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे किसी भी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकती है। महज सैटलमैन्ट द्वारा गलत इन्द्राज किये जाने से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार समाप्त नही हो सकते है। महज अप्रार्थी संख्या 1 अपनी जानकारी का नाजायज फायदा उठाते हुये अलाटमैन्ट रजिस्टर मे दिनांक 09.06.1989 को स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश आवंटन रजिस्टर दिनांक 09.07.1989

6

जिला कलेक्टर
(जयपुर)

Scanned by CamScanner

बाबत आराजी हाल खसरा नम्बर 1211/0.34 वाके मोजा बेरी बांध तहसील कोटपूतली को खारीज किये जाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया प्रार्थी के हक मे नियमानुसार प्रार्थी के हक मे आवंटन किया गया है तथा वरवक्त आवंटन उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी एवं अप्रार्थी भूमि हीन किसान होने के कारण आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी को सही आवंटन किया गया है। एवं अत्यधिक देरी से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नही है।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आवंटन रजिस्टर में खसरा नम्बर 1211/0.23 वाके मौजा बेरी तहसील कोटपूतली जो साबिक खसरा नम्बर 459, 636 वाके मौजा बेरी से बना है खसरा नम्बर 459 प्रार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि है एवं खसरा नम्बर 636 गैर मुमकिन पहाड मौके व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं गैर मुमकिन पहाड की भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटन नही की जा सकती है तथा किसी भी व्यक्ति की खातेदारी भूमि किसी दीगर व्यक्ति को आवंटन नही की जा सकती है तथा उपरोक्त आवंटन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के कार्यालय मे उपलब्ध नही है। कानूनन यह सही है कि धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत गैर मुमकिन पहाड की भूमि में खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है ना ही किसी व्यक्ति को आवंटन किये जा सकते है। गैर मुमकिन पहाड का किया गया आवंटन शुरू से ही अवैध है। जिसमें महज आवंटन को महज देरी से चुनोती दिये जाने के आधार पर अवैध आवंटन को वैध करार नही दिया जा सकता है एवं ऐसी सुरत में प्रकरण को तकनीकी आधार पर मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना किसी भी सुरत में खारिज किया जाना न्यायसंगत नही होता है तथा प्रकरण में मेरीट पर निस्तारण किया न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखुबी साबित है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1211 वाके मोजा बेरी साबिक खसरा नम्बर 459, 636 वाके मौजा बेरी से बना है जो गैर मुमकिन पहाड की भूमि है एवं मिलान क्षेत्रफल से उक्त तथ्य बखुबी साबित है एवं खसरा नम्बर 459 प्रार्थी के पिता को खातेदारी भूमि है। इस तथ्य के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया कि उक्त भूमि गैर मुमकिन पहाड की भूमि नही है एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्य से यह जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के कार्यालय में उपरोक्त आवंटन पत्रावली भी उपलब्ध नही है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन मात्र से ही जाहिर है कि उक्त भूमि गैर मुमकिन पहाड की भूमि है। जिसे कानूनन आवंटन किया जाना कतइ सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ नियम 1970) स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी संख्या 1 के नाम जो दिनांक 09.06.1989 रजिस्टर में हुआ आवंटन अंकन आदेश बाबत खसरा नम्बर 1211/0.34 वाके मौजा बेरी तहसील कोटपूतली को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कोटपूतली को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner